

मध्यप्रदेश विधान सभा

परवरी - मार्च, 1999 सत्र

मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 1999। चैत्र 2, 1921।

की अनुपूरक कार्य - सूची

कार्य सूची के पद क्रमांक "6. शासकीय विधि विषयक कार्य" के उप पद क्रमांक 16। के पश्चात् निम्नलिखित उप पदों को और जोड़कर पढ़ा जाय, अर्थात् :-

निर्धारित
समय。
30 मिं

* 17। श्री सत्यनारायण शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा। संशोधन। विधेयक, 1999। क्रमांक 4 सत्र 1999। पर विचार किया जाय।

30 मिं

18। श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि। संशोधन। विधेयक, 1999। क्रमांक 6 सत्र 1999। पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने स्वैं विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मिं

19। श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी। संशोधन। विधेयक, 1999। क्रमांक 9 सत्र 1999। पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने स्वैं विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मिं

20। श्री अजय मुखारान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक। अधिवासिकी-आयु। संशोधन विधेयक, 1999। क्रमांक 10 सत्र 1999। पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने स्वैं विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मिं

21। श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर। संशोधन। विधेयक, 1999। क्रमांक 11 सत्र 1999। पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने स्वैं विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

भौपाल :
दिनांक : 23 मार्च, 1999।

के. पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।